सत्यमेव जयते
भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
Soochna Bhawan, 8 – CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003

पीआर/21/2026 – पीसीआई

दिनांक: 27.03.2026

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>भारतीय प्रेस परिषद की असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के आम चुनावों और गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा की 8 (आठ) विधानसभा सीटों के उपचुनावों के दौरान प्रिंट मीडिया को पेड समाचारों पर पत्रकारिता आचरण-2022 के मानकों व चुनाव रिपोर्टिंग संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह देती है।</u>

असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के आगामी आम चुनावों और गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा की 8 (आठ) विधानसभा सीटों के उपचुनावों के मद्देनजर, भारतीय प्रेस परिषद प्रिंट मीडिया को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह देती है, जैसा कि पीसीआई के पत्रकारिता आचरण मानक, 2022 संस्करण के भाग ख में चुनाव रिपोर्टिंग-1996 संबंधी "विशिष्ट मुद्दों पर दिशानिर्देश" में उल्लिखित है, जो इस प्रकार है:

"आम चुनाव हमारे लोकतंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं और यह जरूरी है कि मीडिया द्वारा चुनाव लड़ रहे विभिन्न दलों के चुनाव अभियान की सही तथा निष्पक्ष रिपोर्टें प्रेषित की जाएं। प्रेस की स्वतंत्रता बहुत हद तक स्वयं प्रेस के उत्तरदायित्व की भावना के साथ व्यवहार करने पर निर्भर करती है। अतः यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मीडिया चुनाव अभियान की सही तथा निष्पक्ष रिपोर्टिंग के इस सिद्धांत का पालन करे। "

अतः प्रेस परिषद ने चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा अनुपालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाए हैं:

1) *प्रेस का कर्तव्य होगा कि चुनावों तथा प्रत्याशियों के बारे में निष्पक्ष रिपोर्ट दे। समाचारपत्रों से हितलाभ विरोधी चुनाव अभियानों में शामिल होने की आशा नहीं की जाती। चुनावों के दौरान किसी प्रत्याशी, दल या घटना के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण रिपोर्टें न दी जाएं। वस्तुतः कड़े मुकाबले वाले दो या तीन प्रत्याशी ही मीडिया का सारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वास्तविक अभियान की रिपोर्ट देते समय समाचारपत्र को किसी प्रत्याशी द्वारा उठाए गए किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए और न ही उसके विरोधी पर कोई प्रहार करना चाहिए।*

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
Soochna Bhawan, 8 – CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003

2) *निर्वाचन नियमावली के अतंर्गत सांप्रदायिक अथवा जातीय आधार पर चुनाव अभियान की अनुमति नहीं है। अतः प्रेस को ऐसी रिपोर्टों से दूर रहना चाहिये, जिनसे धर्म, जाति, मत, संप्रदाय अथवा भाषा के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाएं पैदा हो सकती हों।*

3) *प्रेस को किसी प्रत्याशी के चरित्र या आचरण के बारे में या उसकी प्रत्याशिता के संबंध में अथवा किसी प्रत्याशी का नाम अथवा उसकी प्रत्याशिता वापस लिए जाने के बारे में ऐसे झूठे या आलोचनात्मक वक्तव्य छापने से बचना चाहिए जिससे चुनाव में उस प्रत्याशी की संभावनाएं दुष्प्रभावित होती हों। प्रेस किसी भी प्रत्याशी/ दल के विरुद्ध अपुष्ट आरोप प्रकाशित नहीं करेगा।*

4) *प्रेस किसी प्रत्याशी/दल की छवि प्रस्तुत करने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन - वित्तीय या अन्य स्वीकार नहीं करेगा। वह किसी भी प्रत्याशी/दल द्वारा उन्हें पेश किया गया आतिथ्य या अन्य सुविधाएं स्वीकार नहीं करेगा।*

5) *प्रेस से किसी प्रत्याशी/दल-विशेष के प्रचार में शामिल होने की आशा नहीं की जाती। यदि वह ऐसा करता है तो वह अन्य प्रत्याशी/दल को उत्तर का अधिकार देगा।*

6) *प्रेस किसी दल/सत्तासीन सरकार की उपलब्धियों के बारे में सरकारी खर्चे पर कोई विज्ञापन स्वीकार/प्रकाशित नहीं करेगा।*

7) *प्रेस निर्वाचन आयोग/निर्वाचन अधिकारियों अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों/आदेशों/अनुदेशों का पालन करेगा।*

2. इसके अतिरिक्त, प्रिंट मीडिया को 'पेड समाचार' से संबंधित मानकों का पालन करना आवश्यक है, जिसे जुलाई 2010 में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा अपनाई गई पेड समाचार संबंधी रिपोर्ट में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"पेड न्यूज़ को "किसी मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में प्रतिफल के रूप में नकद या वस्तु देकर कोई समाचार या विश्लेषण प्रकाशित करने" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। "

इसलिए, भारतीय प्रेस परिषद ने चुनावों के दौरान पेड समाचार प्रकाशित करने से बचने के लिए पत्रकारिता के आचरण के मानक 2022 में प्रिंट मीडिया द्वारा पालन किए जाने वाले निम्नलिखित मानक तैयार किए हैं:

(क) समाचारपत्र को नेता के बयानों को गलत अर्थ में या गलत नहीं देना चाहिए। संपादकीय में उद्धृत बयानों को सत्य भावना में दर्शाना चाहिए जिसे उनके द्वारा व्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा था।

(ख) जिन समाचारों में किसी राजनीतिक दल विशेष के उम्मीदवार के समर्थकों तथा जातिगत आधार पर मतदाताओं के नाम व्यापक रूप से दर्शाए – जाते हैं, इस प्रकार से समाचार प्रकाशित करना पेड समाचार माना जाता है।

(ग) प्रतिस्पर्धी समाचारपत्र में समान विषय वस्तु के साथ प्रकाशित राजनीतिक समाचार पेड समाचार होने का पक्का प्रमाण माना जाता है।

(घ) चुनाव के दौरान दो समाचारपत्रों में समान समाचार शब्दशः प्रकाशित होना संयोग नहीं हो सकता है और उससे स्पष्ट होता है कि वह समाचार प्रतिलाभ हेतू प्रकाशित किया गया।

(ड़) किसी समाचार/तस्वीरों को प्रस्तुत करने का तरीका, वह भी किसी विशेष पार्टी/उम्मीदवार के पक्ष में, साथ ही किसी विशेष पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करना, सांकेतिक रूप से पेड समाचार है।

(च) चुनाव में किसी उम्मीदवार की सफलता सुनिश्चित दर्शाना जिसे अभी नामांकन भी करना हो, पेड समाचार माना जाएगा।

(छ) चुनाव के बारे में समाचार देते समय, समाचारपत्रों को रिपोर्ट/उम्मीदवारों के साक्षात्कार प्रकाशित करने में संतुलन बनाने का परामर्श दिया जाता है।

(ज) चनाव के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन समाचारपत्र उम्मीदवारों या पक्षों की संभावनाओं का ईमानदारी से मूल्यांकन कर सकते हैं और इसे पेड समाचार नहीं माना जाएगा जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि ऐसे प्रकाशन पर प्रतिफल दिया गया है।

(झ) समाचारपत्र किसी भी राजनीतिक पार्टी की जीत की भविष्यवाणी करते हुए बिना सत्यापन के कोई समाचार सर्वेक्षण किए बिना प्रकाशित नहीं करेंगे।

(ञ) चुनाव के दौरान, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को सभी गुणों के साथ पेश करके मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास, पेड समाचार है।

(ट) एक उम्मीदवार/प्रत्याशी के नकारात्मक पहलू और साथ ही अन्य राजनीतिक दल के उम्मीदवार के, बिना किसी आधार के, सकारात्मक पहलुओं को देने वाला समाचार स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह पेड समाचार है।

3. प्रिंट मीडिया को सलाह दी जाती है कि वह भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी चुनाव रिपोर्टिंग संबंधी उपरोक्त दिशानिर्देशों और पेड समाचार संबंधी मानकों का पालन करे।

****